



नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा द्वारा

संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रम

लव-कुशनगर, मूंदीरोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: paramedicalgmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

क्रमांक / 5302 / पैरामेडिकल / नं.सि.चौ.शा.चि.म. / 2026

खण्डवा, दिनांक : 07.07.2026

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2025-26 (रिक्त 12 सीटो हेतु)

// प्रवेश संबंधी महत्वपूर्ण सूचना //

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा द्वारा संचालित विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 की प्रवेश प्रक्रिया की जाकर, रिक्त 12 सीटो हेतु प्राप्त नवीन आवेदनों की स्कूटनी किये जाने के पश्चात् योग्य आवेदकों की मेरिट लिस्ट का प्रकाशन महाविद्यालय की वेबसाइट www.gmckhandwa.org /नोटिस बोर्ड पर दिनांक 07 जुलाई 2026 को किया जा रहा है।

काउंसलिंग दिनांक :- 11 जुलाई 2026

रजिस्ट्रेशन समय :- सुबह 10:00 से 11:30 बजे तक (रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है, अनुपस्थित होने की स्थिति में आवेदक के सीट का दावा निरस्त हो जावेगा)

काउंसलिंग समय :- सुबह 11:30 बजे से

काउंसलिंग के दौरान स्कूटनी समिति द्वारा उम्मीदवारों के निम्नलिखित मूल दस्तावेजों (Original Documents) की जांच की जावेगी। मूल दस्तावेजों के अभाव में अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।

1. 10 वीं कक्षा की अंकसूची।
2. 12 वीं (10+2) कक्षा की अंकसूची।
3. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र।
4. माईग्रेशन प्रमाण-पत्र।
5. वैध डिजिटल मूलनिवासी प्रमाण-पत्र।
6. जन्म प्रमाण पत्र (10 वीं कक्षा की अंकसूची में जन्मतिथि अंकित ना होने पर)।
7. वैध डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र केवल आरक्षित वर्ग के लिए।
8. वैध डिजिटल आय प्रमाण-पत्र।
9. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र (EWS Certificate जो कि वैध हो)।
10. विभागीय कर्मचारियों के लिए मूल नियोक्ता द्वारा जारी एन.ओ.सी. (NOC) की मूलप्रति।
11. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट।
12. गेप सर्टिफिकेट (यदि आवश्यक हो)
13. आधार कार्ड।
14. समग्र आई.डी.।
15. बैंक पासबुक।
16. रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो - 20 (जिस पर नाम, दिनांक अंकित हो तथा दोनो कान स्पष्ट रूप से दिखाई दे एवं 03 माह से अधिक पुराना न हो।)

निरंतर - 02



नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा द्वारा
संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रम

लव-कुशनगर, मूंदीरोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001
Email: paramedicalgmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

//02//

नोट :-

1. काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। नियत समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में सीट मेरिट के आधार पर आवंटित कर दी जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
2. काउंसलिंग में सीट आवंटित होने पर सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम की पूर्ण फीस में से प्रथम किस्त फीस एकमुश्त Online माध्यम से नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खण्डवा बैंक खाता क्रमांक 37773559136 (IFSC Code- SBIN0012159) में जमा करवानी होगी, अन्यथा सीट आवंटन रद्द हो जाएगा।
3. छात्रवृत्ति का लाभ मध्यप्रदेश शासन एवं मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल भोपाल के नियमानुसार एवं निर्देशानुसार प्रवेश के पश्चात् प्राप्त होगा।
4. काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम में से किसी भी पाठ्यक्रम में उपलब्धता अनुसार प्रवेश मिल सकता है जिसकी पूर्ण फीस (प्रथम किस्त) प्रवेश के समय एकमुश्त ऑनलाईन माध्यम से जमा करनी है। अतः समस्त अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि उन्हें डिग्री पाठ्यक्रम हेतु आवश्यक फीस साथ लाना चाहिए जिससे की प्रवेश के समय किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो।
5. EWS श्रेणी में प्रवेश लेने हेतु निर्धारित प्रारूप में पात्र अनारक्षित उम्मीदवारों को EWS प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा।
6. काउंसलिंग के दौरान प्रवेशित अभ्यर्थियों को राशि रुपये 1,75,000/- (एक लाख पच्चीतर हजार) डिग्री पाठ्यक्रम हेतु एवं राशि रुपये 75,000 (पिचत्तर हजार) डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु सीट लिविंग बाण्ड 500 के स्टाम्प पेपर पर जमा करना अनिवार्य है।
7. काउंसलिंग के दौरान स्थानांतरण (TC) एवं माइग्रेशन सर्टिफिकेट मूल दस्तावेजों के अभाव हेतु एफिडेविट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
8. काउंसलिंग के दौरान प्रवेशित अभ्यर्थियों को सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
9. काउंसलिंग के दौरान प्रवेशित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग फीस रु. 600/- काउंसलिंग के समय जमा करवाना अनिवार्य होगा।
10. काउंसलिंग के दौरान काउंसलिंग समिति द्वारा समय-समय पर दिये जा रहे निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
11. काउंसलिंग के दौरान काउंसलिंग हॉल में अभ्यर्थी के साथ केवल एक व्यक्ति (माता/पिता/अभिभावक) को प्रवेश की अनुमति होगी।
12. उपरोक्त प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के संभावित परिवर्तन की सूचना चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा की वेबसाइट www.gmckhandwa.org /नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगी। कृपया समय-समय पर अवलोकन करते हैं।
13. प्रवेश संबंधी नियमों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के समस्त अधिकार नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा के पास सुरक्षित रहेंगे।
14. काउंसलिंग में भाग लेना प्रवेश की गारंटी नहीं है, मेरिट अनुसार सीट उपलब्ध होने पर ही प्रवेश प्रदान किया जावेगा।

(डॉ. संजय कुमार दादु)

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नंदकुमार सिंह चौहान शा.चि.म. खण्डवा